पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2023 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 3170

==========

1. गणेश कुमार गुप्ता स्वर्गीय योगेंद्र प्रसाद गुप्ता के पुत्र सचिव, हाटी-कडली ग्राम पंचायत रैयती भूमि बचाव समिति, ग्राम- हाटी, वार्ड संख्या 11, पोस्ट-हाटी, थाना नौहट्टा, जिला- सहारसा- 852130 के निवासी।
2. विश्वनाथ साह, महाबीर साह के पुत्र अध्यक्ष, हाटी- कडली ग्राम पंचायत रैयती भूमि बचाव समिति, ग्राम-रामपुर, केडली पट्टी, थाना नौहट्टा, जिला- सहारसा- 852123 के निवासी।
3. राजदेव पंडित, पुत्र- गन्नू पंडित निवासी गाँव- छतवान, केडली पट्टी, थाना- नौहट्टा, जिला-सहारसा- 852123 के पुत्र।
4. राजकिशोर सिंह, भुवनेश्वर सिंह के पुत्र, उपाध्यक्ष, हाटी- कडली ग्राम पंचायत रैयती भूमि बचाव समिति, ग्राम- हाटी, थाना- नौहट्टा, जिला- सहारसा- 852130 के निवासी।

.....याचिकाकर्तागण

बनाम्

1. प्रधान सचिव, राजस्व और भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य
2. निदेशक, भूमि अभिलेख और मापन, बिहार, पटना
3. जिला मजिस्ट्रेट, सहरसा
4. निपटान अधिकारी, सहरसा
5. सहायक निपटान अधिकारी, सहरसा
6. अंचल अधिकारी, नौहट्टा, जिला- सहरसा
7. स्टेशन हाउस अधिकारी, जिला- सहरसा

....प्रतिवादीगण

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011, धारा - 11(2)

बिहार कास्तकारी अधिनियम 1885, धारा-52/वर्तमान रिअ याचिकाकर्ता द्वारा बिहार सरकार के अधिकारियों को निर्देश की माँग करते हुए दायर की गई है कि उनकी जमीन जो कोसी नदी के तट पर स्थित थी, कोसी नदी में बाढ़ आने के कारण कोसी नदी में चली गई है, पर बिहार सरकार ने इसका फायदा उठाते हुए भूमि पर याचिकाकर्ताओं का रैयती अधिकार हटाकर बिहार सरकार का नाम चढ़ा लिया है। याचिकाकर्ता इस रिट याचिका के द्वारा बिहार सरकार तथा उसके अधिकारियों को उक्त कार्यों से रोकने के लिए दायर की गई है।

न्यायालय ने यह अवलोकित करते हुए कि बिहार राज्य में बिहार विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त अधिनियम, 2011 के अंतर्गत इन याचिकाकर्ताओं के दावों का समाधान किया जा सकता है इसलिए समाहर्ता, सहरसा को निर्देष दिया जाता है कि वे बिहार सरकार की नीति के अनुसार याचिकाकर्ताओं की शिकायतों को निवटारा धारा- 11(2) के तहत निर्दिष्ट अवधि के भीतर करें।

(पारा-7)

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2023 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 3170

==========

1. गणेश कुमार गुप्ता स्वर्गीय योगेंद्र प्रसाद गुप्ता के पुत्र सचिव, हाटी-कडली ग्राम पंचायत रैयती भूमि बचाव समिति, ग्राम- हाटी, वार्ड संख्या 11, पोस्ट-हाटी, थाना नौहट्टा, जिला- सहारसा- 852130 के निवासी।

2. विश्वनाथ साह, महाबीर साह के पुत्र अध्यक्ष, हाटी- कडली ग्राम पंचायत रैयती भूमि बचाव समिति, ग्राम-रामपुर, केडली पट्टी, थाना नौहट्टा, जिला- सहारसा- 852123 के निवासी।

3. राजदेव पंडित, पुत्र- गन्नू पंडित निवासी गाँव- छतवान, केडली पट्टी, थाना- नौहट्टा, जिला-सहारसा- 852123 के पुत्र।

4. राजकिशोर सिंह, भुवनेश्वर सिंह के पुत्र, उपाध्यक्ष, हाटी- कडली ग्राम पंचायत रैयती भूमि बचाव समिति, ग्राम- हाटी, थाना- नौहट्टा, जिला- सहारसा- 852130 के निवासी।

.....याचिकाकर्तागण

बनाम्

1. प्रधान सचिव, राजस्व और भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य

2. निदेशक, भूमि अभिलेख और मापन, बिहार, पटना

3. जिला मजिस्ट्रेट, सहरसा

4. निपटान अधिकारी, सहरसा

5. सहायक निपटान अधिकारी, सहरसा

6. अंचल अधिकारी, नौहट्टा, जिला- सहरसा

7. स्टेशन हाउस अधिकारी, जिला- सहरसा

.....प्रतिवादीगण

==========

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता के लिए: श्री बिनोद कुमार, अधिवक्ता

उत्तरदाता के लिए: श्री मो. खुर्शीद आलम (एएजी 12)

==========

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री डॉ. अंशुमान

मौखिक न्यायादेश

दिनांक: 04-09-2023

याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील और राज्य के विद्वान वकील को सुना।

2. वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है जिसमें प्रत्यर्थी अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गई है कि वे नदी के तल में उप-विलय की आड़ में भूमि जो हाटी और केडली ग्राम पंचायत में स्थित है, पर हसतक्षेप नही करने के लिए दायर की गई है। आगे की प्रार्थना यह है कि याचिकाकर्ताओं का नाम वर्ष 1967-68 में किए गए कैडस्ट्रल सर्वेक्षण के आधार पर अधिकार के सर्वेक्षण निपटान अभिलेख में रखा जाए और यह भी निर्देश दिया गया है कि उत्तरदाताओं को केवल 'कोशी' नदी के पानी में उप-विलय के आधार पर अधिकारों के अभिलेख

में बिहार राज्य का नाम दर्ज नहीं करना चाहिए और याचिकाकर्ताओं को भूमि पर रैयती अधिकार जारी रखने और उसके लिए अधिकार प्रमाण पत्र जारी करने की अनुमति दी जाए।

3. याचिकाकर्ताओं के वकील ने प्रस्तुत किया कि स्वीकार्य रूप से, प्रश्नगत भूमि 'कोशी' नदी में डूब जाती थी। उक्त भूमि 'कोशी' नदी के तटबंध पर स्थित राजस्व ग्राम हाटी और केदली *ग्राम पंचायत* में नदी में स्थित है। वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता और उनके पूर्वज उस ग्राम में रह रहे हैं जिसका रैयती भूमि पर अधिकार, स्वामित्व और हित है जो कभी-कभी निश्चित अवधि में नदी में विलय हो जाती है और कभी-कभी बाहर आ जाती है। वह प्रस्तुत करता है कि 'कोशी' नदी की धारा की प्रकृति समय-समय पर बदलती रहती है। जब भी भूमि नदी से बाहर होती थी, याचिकाकर्ता खेती करते थे और उक्त नदी के कब्जे में रहते थे। अधिकारियों द्वारा मौखिक रूप से सूचित किया गया है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण और निपटान अधिनियम 2011 के तहत विशेष सर्वेक्षण पूर्ण होने के पश्चात् संबंधित उपयोगकर्ताओं के नाम दर्ज किए जाएंगे। उक्त कानून वर्ष 2011 में आया था, लेकिन आज तक राज्य की ओर से कोई प्रगति नहीं हुई है। याचिकाकर्ताओं ने आर. टी. आई. के तहत जानकारी प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास किया है, लेकिन फिर भी जानकारी प्रदान नहीं की गई है। याचिकाकर्ताओं ने अधिकार के अभिलेख खोलने के लिए बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 के तहत राजस्व अधिकारी, सहरसा की अदालत में 1986 का मामला संख्या 6467 वाला मामला दायर किया है क्योंकि राज्य का नाम गलत तरीके से दर्ज किया गया है, लेकिन फिर भी, याचिकाकर्ताओं के नाम पर भूमि दर्ज नहीं की गई है।

4. राज्य के वकील ने एक जवाबी हलफनामा दायर किया है और प्रस्तुत किया है कि बिहार सरकार के राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने समय-समय पर उन भूमि के संबंध में एक पत्र जारी किया है जो कभी-कभी नदी से निकलती हैं जिसमें सरकार द्वारा विशिष्ट रुख अपनाया गया है कि राजस्व और भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार ने पत्र संख्या 17-1 (टेक) प्रकोष्ठ 23/93/1977 दिनांक 04.04.1996 के माध्यम से इस आशय का निर्देश जारी किया था

कि यदि रैयती भूमि नदी के तह के नीचे आती है, ऐसाी भूमि को नदी का जलीय भूमि माना जाएगा एवं यदि सर्वोक्षण मानचित्र एवं खतियान तैयार करने के समय ऐसी जलीय भूमि बिहार राज्य की भूमि और उसकी खाता इकाई तदनुसार बिहार राज्य के नाम पर बनाई जाएगी। यह भी राज्य का रुख है कि बिहार किरायेदारी अधिनियम, 1885 की धारा 52 विशेष रूप से यह बताती है कि यदि नदी अपना मार्ग बदलती है और नीचे की भूमि नदी के जलीय क्षेत्र से निकलती है, तो ऐसी भूमि का खाता प्रविष्टि वास्तविक रैयतों के नाम पर किया जाएगा, यदि इसके डूबने से पहले, यह रैयती भूमि थी। लेकिन अगर जलमग्न भूमि *गैरमाजारुआ आम* या *अनाबाद सर्व साधारण* थी, तो इसकी खाता प्रविष्टि *अनाबाद सर्व साधारण* के नाम में की जाएगी।

5. राज्य का यह भी मत है कि यदि नदी का मार्ग बदलने के बाद, भूमि पानी से निकलती है, तो बिहार राज्य के नाम पर भूमि का खाता प्रवेश करने का निर्देश है, यदि ऐसी भूमि को किसी भी रैयत में विधिवत बसाया नहीं जाता है। यह भी पता चलता है कि यदि कैडस्ट्रल सर्वेक्षण के दौरान, नदी की धारा भूमि के किसी भी टुकड़े से बह रही थी और उसके पानी से बाहर निकलने के बाद और यदि कोई व्यक्ति भूमि को अपने कब्जे में लेता है, तो उस मामले में भी, ऐसी भूमि का खाता प्रवेश बिहार राज्य के नाम पर किया जाएगा, जब तक कि सक्षम दीवानी अदालत का कोई प्रतिकूल आदेश न हो। इस प्रकार, इस संबंध में बिहार सरकार का स्पष्ट नीतिगत निर्णय है।

6. वकील यह भी प्रस्तुत करता है कि बिहार सरकार का नीतिगत निर्णय सभी संबंधित लोगों के लिए फायदेमंद है क्योंकि इस नीति से किसी भी तरह के विचलन से बड़ी संख्या में अनावश्यक भूमि विवाद और मछली पकड़ने के अधिकार आदि पैदा होंगे।

7. पार्टियों द्वारा की गई दलीलों और विशेष रूप से बिहार राज्य द्वारा लिए गए रुख के आलोक में, जब बिहार विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त अधिनियम, 2011 का संचालन राज्य के विभिन्न हिस्सों और राज्य के कुछ हिस्सों में शुरू हो गया है, तो इसे प्रभावी ढंग से

पूरा कर लिया गया है। समाहर्त्ता सहरसा को यह निर्देश दिया जाता है कि वे रिट याचिका में संलग्न नीति के अनुसार और बिहार विशेष सर्वेक्षण और निपटान अधिनियम, 2011 (2011 का बिहार अधिनियम 24) (जिसे इसके बाद '2011 का अधिनियम' कहा गया है) के तहत ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान किए गए अधिकारों के आलोक में याचिकाकर्ताओं की शिकायतों का निपटारा करें, जिसमें 2011 के अधिनियम की धारा 11 (2) के तहत स्पष्ट निर्देश है कि अधिकारों के संबंध में दावे और आपत्तियां एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर दायर की जा सकती हैं और जिले का समाहर्त्ता कानून के अनुसार निर्णय लेगा।

8. मामले के इस दृष्टिकोण से, याचिकाकर्ताओं को आज से 4 सप्ताह के भीतर समाहर्त्ता सहरसा के समक्ष अपना नया अभ्यावेदन दायर करने का निर्देश दिया जाता है और समाहर्त्ता सहरसा को 6 सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ताओं के दावों पर तर्कपूर्ण और सकारण आदेश द्वारा निर्णय लेने का निर्देश दिया जाता है, इसके बाद सभी संबंधित पक्ष पर सुनवाई की जाती है।

9. उपरोक्त निर्देश के साथ, वर्तमान रिट आवेदन का एतद्द्वारा निपटारा किया जाता है।

(डॉ. अंशुमन, न्यायमूर्ति)

प्रकाशमणि/-

खण्डन (डिस्क्लेमर):- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।